

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर (पलामू) ।

अनुसूची-14 फारम सं०- 562

चतुरी साव वगैरह

बनाम्

राधा साव वगैरह

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक
जिला- पलामू विविध वाद सं० 170 सन् 2017
केस का विषय- धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश की कं० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

28-11-17

मैं थाना प्रभारी, पीपरा के जाँच प्रतिवेदन (DR NO-485/2017 दिनांक 10.11.2017) के अवलोकन से संतुष्ट हूँ कि निम्नांकित भूमि के उपर दखल-कब्जा को लेकर उभय पक्षों के बिच तनाव उत्पन्न हो गया है जिससे शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है जो मेरे अधिकार सीमा क्षेत्र के अंदर है।

अतः निम्नांकित विवादी भूमि के उपर धारा 144 दं० प्र० सं० की प्रक्रिया कायम करते हुए उस पर उभय पक्षों को जाने से रोका जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक 07-12-17 को मेरे न्यायालय में हाजिर होकर कारण पृच्छा दाखील करें कि क्यों नहीं निर्गत नियम उनके विरुद्ध-निरपेक्ष किया जाय।

विवादित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
बभण्डी	14	214	1/2 डी०	उ०-राधा साव का घर द०-लक्ष्मण साव का खेत पू०-राधा साव का घर प०-लक्ष्मण साव का खेत

लेखापित एवं संशोधित

(Signature)

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

(Signature)

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

7-12-17

अभिलेख उपर-व्यापित। उभय पक्ष अनुपस्थित।
उभय पक्षन-व्यवकासनामा फॉर्म कार्रवाई। अभिलेख
दिनांक 14-12-17 को रखें।

14-12-17

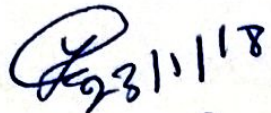
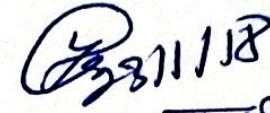
अभिलेख उपर-व्यापित। उभय पक्ष अनुपस्थित, द्वितीय पक्ष
उपस्थित। अभिलेख दिनांक 21-12-17 को रखें।

(Signature)

14/12/17

आदेश की कॉपों और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
21-12-17	अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष अनुपस्थित, द्वितीय पक्ष उपस्थित। दि. 28/12/17 को रखे।  SDM
28-12-17	उभयपक्ष अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 4-1-18 को रखें। SDM
4-1-18	अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 9-1-18 को रखें। SDM
9-1-18	अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 16-1-18 को रखें। SDM
16-1-18	अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से कार्य प्रवर्द्धित। अभिलेख दिनांक 18/1/18 को रखें।  16/1/18
18-1-18	अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 23-1-18 को रखें। SDM
23-1-18	अभिलेख उपर्युक्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। इस वाद की कानूनी स्थिति समाप्त हो रही है। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि

आदेश
में दिनांक

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष को इस वाद के कोई अभिरुची नहीं रह गयी है। अतः इस वाद की कार्रवाई बननाए की जाती है। लेखापित्र एवं संसोधित  अनुभव डल दण्डाधिकारी, क्षेत्र (पलामू)।  अनुभव डल दण्डाधिकारी, क्षेत्र (पलामू)।	